–::निर्णय::–

दिनांकः– 12/01/2006

उपस्थितिः श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता–वादीगण
श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता–प्रतिवादीगण

वादीगण के वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि मौजा धारोद पटवार मण्डल डाल तहसील सलूम्बर के साबिक आराजी नं. 14/9 रकबा 5 बीघा भूमि दिनाक 14.11.1975 को आवटन अधिकारी सब डिविजनल अधिकारी, सलूम्बर द्वारा आवंटन की गई। वादीगण को उक्त कृषि भूमि अपने बाप–दादाओं के समय से काबिज काश्त के आधार पर आवटन हुई थी आवंटन में आवंटी का खातेदार का नाम माधुसिंह, नारसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी डाल तहसील सलूम्बर दर्ज होकर वादीगणों के स्वामित्य एवं अधिपत्य उपयोग उपभोग जारी है। वादीगणों को आराजीयात 14 मीन रकबा 27 बीघा 1 बीस्वा में से 5 बीघा भूमि नामांतरण सं. 198 मिसल नं. 331 दिनांक 14.11.1975 से दिनांक 23–04–1977 को स्वीकृत होकर मोके पर काबिज काश्त है। वादीगणों के उक्त खाते में बंदोबस्त अधिकारी ने बंदोबस्त दौरान मिसल बंदोबस्त की जमाबंदी तैयार की तद समय के राजस्व भू अभिलेख में अशुद्ध अंकन कायम कर दिया एवं खातेदार का नाम माधुसिंह, नारसिंह पिता भेरूसिंह निवासी डाल के बजाय माधुसिह पिता भेरूसिंह निवासी डाल दर्ज कर दिया है उस समय से वादीगणों के खाते में अशुद्ध अकन कायम कर दिया गया है। इसका नाजायज लाभ उठाते हुए प्रतिवादीगण जो माधुसिंह पिता नारसिंह निवासी डाल थे उन्होंने भूमि अपने खाते में दर्ज करवा दी प्रशासन व बंदोबस्त अधिकारियों को गुमराह करते हुए अशुद्ध अंकन कायम करवा दिया एवं जब माधसिंह पिता नारसिंह की मृत्यु हो गई तो प्रतिवादी सख्या 1 से 3 के खाते दर्ज हो गई

वादीगणों के उपरोक्त आराजीयात पर साबिक से हाल नीवन भू प्रबंध कायम हुआ तो साबिक आराजी नं. 14 मीन से हाल आराजी नं. 187 रकबा 1.35 हैक्टेयर कायम हुआ एवं मिसल बंदोबस्त की जमाबंदी में नोट प्रक्रिया से आराजी नं 187 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि दर्ज की शेष भूमि 1997/187 रकबा 0.27 हेक्टेयर भूमि बिलानाम दर्ज की है। वादीगणों को जो भूमि खाते में दर्ज चली आ रही थी उस पर वादीगणों के बाप–दादाओं से मकान, पशुबाडा, खेत ईत्यादी बने हुए है जिसके संबंध में वादीगणों ने तत्कालीन ग्राम पंचायत डाल व धारोद से मौका पर्चा बनवाया उसमें भी आराजी नं. 187 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि, मकान, पशु वाडे, वादीगणों के बताए एवं राजस्व भू–अभिलेख में अशुद्ध अंकन से दिगर व्यक्तियों के खाते दर्ज हो गई है। वाद हेतु दिनाक 01.07.2017 को उत्पन्न हुआ तब वादी ने ग्राम पंचायत मौतबीरों सहित उक्त अशुद्ध नाम अंकन राजस्व भू अभिलेख से हटाने हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर में निस्तारण हेतु सहयोग करावे किन्तु प्रतिवादीगण इन्कार होकर विवाद पर उतारू हो गए। जिस कारण उक्त वाद इन्द्राज दुरस्ती व नाम घोषणा खातेदारी हेतु प्रस्तुत करना पड रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण के वाद में निम्न आशय की डिकी/निर्णय प्रदान करावे :–

(1) कि मौजा धारोद पटवार मण्डल डाल के साबिक आराजी नं 14/9 रकबा 5 बीघा खातेदार नाम माधुसिंह, नारसिंह पिता भेरूसिह जो हाल भू–अभिलेख में माधुसिह पिता नारसिंह अशुद्ध अकन कायम हो गया वो दुरस्त किया जाकर वादीगणों के खाते आराजी नं 187 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि पर नाम खातेदार साबिक से ही दर्ज किया जावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

(2) कि खातेदार नाम माधुसिंह, नारसिंह राजपूत अशुद्ध अंकन दो सगे भाई माधुसिं, नारसिंह पिता भेरूसिंह सही कम में दर्ज होना था दो भाईयों के मध्य पिता शब्द लिख दर्ज किया यो निरस्त किया जाकर शुद्ध अंकन दर्ज करावे।

(3) कि खातेदार नाम हाल आराजी नं 187 रकबा 1.08 हेक्टेयर भूमि वादीगणों के नाम घोषणा की जाये एवं उक्त इन्द्राज दुरूस्ती अधिनस्थ अधिकारियों से सुनिश्चिम करवाई जावे।

(4) कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण एवं इनके नौकर परिजन नियोजित एजेण्ट को वादीगणों की भूमि में प्रवेश नहीं करें व नहीं नौकर परिजन ईत्यादी खुर्द बर्द निर्माण नहीं करे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे।

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 की ओर अधिवक्ता श्री गोविन्दलाल डांगी ने वकालतनाम पेश किया। तथा प्रतिवादी नं. 1 एक, 2 दो व 3 तीन का प्रत्युत्तर पेश किया कि वादी को मौझा धारोद तह. सलूम्बर की आ.न. 14/9 रकबा 5 बीघा भूमी तारीख 14–11–1975 को एलोट होना स्वीकार नही है अथवा वादी को आ.न. 14/7 रकबा 5 बीघा एलोट होना भी स्वीकार नही है, वादपत्र गलत निराधार होने से स्वीकार नही है, यदि वादी अपने आपको 14/9 एलोट होना कहता है तो उक्त भूमी पर रतनसिंह पिता प्रंतापसिंह राजपुत काबिज है। वादग्रस्त आराजी नं. 14/9 के वादीगण माधुसिंह, नाहरसिंह पिता भेरूसिंह आज तक कभी गैरखातेदार काश्तकार नही रहे है, वादग्रस्त कृषी भूमी पर वादीगण का कब्जा होना स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण को एलोट हुई भूमी पर प्रतिवादीगण काबिज है जो हाल आ. न. 187 रकबा 1.08 हेक्टर है।

आ.न. 14 मीन रकबा 27 बीघा 1 बिसवा में से 5 बीघा भूमी वादीगण को एलोट होना एवं उसका नामान्तरण नं. 198 मि.नं. 331 से तारीख 14–11–1975 को खुलना स्वीकार नहीं है वादीगण सा.आ.न. 14/9 अथवा 14/7 पर काबिज नहीं है, यदि वादीगण आ.न. 14/9 खुद को अथवा 14/7 खुद को एलोट होना कहते है तो दस्तावेजो से साबित करे । हाल बंदोबस्त के दौरान भूप्रबन्ध विभाग के अधिकारीयो एवं कर्मचारियो ने कोई गलती नहीं की थी, राजस्व रेकार्ड में माधुसिंह, नाहरसिंह पिता भेरूसिंह निवासी डाल के बजाय अशुद्ध अंकन माधुसिंह पिता भेरूसिंह निवासी डाल दर्ज होना स्वीकार नहीं है। माधुसिंह पिता नाहरसिंह भुप्रबन्ध प्रारम्भ होने के पूर्व से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थे जो प्रतिवादीगण के स्वर्गीय पिता गैर खातेदार काश्तकार दर्ज थे। इसलिये उक्त भूमी की हाल आ.न. 187 रकबा 1.08 हेक्टर के एकमात्र खातेदार काश्तकार विरासत से प्रतिवादीगण है । वादीगण अपने खाते सा.आ.न. 14/9 रकबा 5 बीघा एलोट होना कहते है एवं सा.आ.न. 14/9 से हाल आराजी नं. 187 रकबा 1.35 हेक्टर अथवा हाल आ.न. 1997/187 रकबा 0.27 हेक्टर बनना स्वीकार नही है। वादीगण के खाते एलोटमेन्ट के बाद सा.आ.न. 14/9 रकवा 5 बीघा वादीगण एलोट होना कहते है जबकि हम प्रतिवादीगण सा.आ.न. 14/7 रकवा 5 बीघा के गैर खातेदार काश्तकार है उसे अब वादीगण अपनी होना कह रहे है जो गलत है।

वादीगण ने केवल ग्राम पंचायत धारोद एवं ग्राम पंचायत डाल के सरपंच को नाजायज लाभ देकर उनसे पर्चा मौका बनाकर वादीगण का कब्जा बताकर यह झुठा वाद पेश किया है जिसमे वादीगण कभी कामयाब नहीं होगे । वादीगण का यह गलत निराधार वाद काबिल निरस्त के है। वादीगण आ.न. 1997/187 रकबा 0.27 हेक्टर को बिलानाम दर्ज कराने के अधिकारी किस प्रकार है, वादपत्र से स्पष्ट नहीं है । वादीगण इस वाद की आड में हम प्रतिवादीगण की भूमी हडपना चाहते है। जिसमे कभी कामयाब नही होंगे, प्रतिवादीगण अपने

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

स्व. पिता के समय से मौके पर काबिज होकर आज तक निरन्तर बेरोकटोक के शान्तीपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है, आ.न. 187 रकबा 1.08 हेक्टर प्रतिवादीगण के खाते की भूमी है, पशु, मकान, बाडे आदि इस भूमी में प्रतिवादीगण के स्वर्गीय पिता माधुसिंहजी के समय से बने हुए है, जिन पर हम तीनो उनके पुत्र प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे हे। वादीगण वादग्रस्त कृषी भूमी के आज तक कभी खातेदार काश्तकार नही रहे है, इसलिये वादीगण एक खातेदार काश्तकार के विरूद्व स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नही है। वादीगण गलत है एव हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का यह वाद पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे ।

वादी के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर प्रकरण मे निम्न तनकियात कायम कि गई–

1. आया वादीगण मौजा धारोद पटवार हल्का डाल के साबिक आराजी नम्बर 14/9 रकबा 5 बीघा भूमि खातेदार के नाम माधुसिंह, नाहरसिंह पिता भेरूसिंह थी जो हाल भू अभिलेख में अशुद्ध अंकन हो गया है उसकी शुद्धि कराने के अधिकारी है ?

–बजिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण हाल आराजी नम्बर 187 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम घोषणा एवं उक्त इन्द्राज दुरूस्ती करने के अधिकारी है?

–बजिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

–बजिम्मे वादीगण

4. आया बिना कब्जेयाबी की दाद के वादीगण किसी प्रकार की घोषणा इस वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है?

–बजिम्मे प्रतिवादीगण

5. दादरसी/अनुतोष

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थ मे गवाह PW-1 चन्दनसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, PW-2 मानसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत, PW-3 शम्भुसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत के शपथ पत्र पेश किये एवं बयान प्रस्तुत किए। दस्तावेजी साक्ष्य में –

प्रदर्श पी. 1–नामान्तरण संख्या 198 की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श पी. 2–जमाबन्दी संवत् 2039 से 2041
प्रदर्श पी. 3–भू प्रबन्ध जमाबन्दी (सेटलमेन्ट जमाबंदी)
प्रदर्श पी. 4– जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 खाता संख्या 172
प्रदर्श पी. 5– जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 खाता संख्या 59
प्रदर्श पी. 6– मौका पर्चा ग्राम पंचायत धारोद
प्रदर्श पी. 7– मौका पर्चा ग्राम पंचायत डाल
प्रदर्श पी. 8 मिलान क्षैत्रफल
प्रदर्श पी. 1 से प्रदर्श पी. 8 तक प्रदर्शित कराये तथा एलोटमेन्ट आदेश की फोटो प्रतिया पेश की।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रतिवादीगण ने DW-1 देवीसिंह पुत्र माधुसिंह राजपुत के बयान प्रस्तुत किए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए 1– वादी द्वारा प्रदर्श पी. 3, प्रदर्श ए 2–जमाबंदी संवत् 2038 से 2041, प्रदर्श ए 3– जमाबंदी संवत् 2039 से 2042, प्रदर्श ए4 व ए5– मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श ए 6– PW-2 मानसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत का शपथ पत्र प्रदर्शित कराये। प्रतिवादी ने अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. Raju through LRs & Ors. बनाम Board of Revenue & Ors., 2023 (1) RRT 197 (राजस्थान उच्च न्यायालय)
माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ऐसा दस्तावेज न तो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और न ही उससे किसी प्रकार का अधिकार उत्पन्न हो सकता है।

2. Naresh & Ors. बनाम Hemant & Ors., 2020 (2) RRT 874 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की प्रविष्टियाँ rebuttable presumption हैं, जिन्हें ठोस साक्ष्य से ही खंडित किया जा सकता है।

3. Birbal बनाम Gurudayal & Ors., 2018 (2) RRT 1268 (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्थान)
उक्त निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जब दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हों, तब केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पत्रावली मे उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वादीगण ने बहस मे अपने दावे मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रतिवादी की बहस अपने जवाब दावे अनुसार रही।

प्रकरण मे तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर–1 आया वादीगण मौजा धारोद पटवार हल्का डाल के साबिक आराजी नम्बर 14/9 रकबा 5 बीघा भूमि खातेदार के नाम माधुसिंह, नाहरसिंह पिता भेरूसिंह थी जो हाल भू अभिलेख में अशुद्ध अंकन हो गया है उसकी शुद्धि कराने के अधिकारी है ?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि वादीगणों को आराजीयात 14 मीन रकबा 27 बीघा 1 बीस्वा में से 5 बीघा भूमि नामांतरण सं. 198 आवटंन मिसल नं. 331 दिनांक 14.11.1975 से दिनांक 23.04.1977 को स्वीकृत होकर मौके पर काबिज है। मूल आवंटन दो सगे भाइयों के नाम था, परंतु बंदोबस्त में अशुद्ध प्रविष्टि हो गई। इस संबंध में आवंटन आदेश की फोटा प्रति एवं नामांतरण संख्या 198 प्रदर्श पी. 1 जिसमे स्पष्ट रूप से माधुसिंह नाहरसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत के नाम आवटंन से आराजी नम्बर 14/9 रकबा 5 बिघा गैर खातेदारी दर्ज करने का दाखला अंकित है। जमाबंदी प्रदर्श पी. 4 मे माधुसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत दर्ज है। स्वयं प्रतिवादी डी.डब्ल्यू. 1 देवीसिंह ने अपने मुख्य परिक्षा के शपथ पत्र मे ए से बी स्थान पर अंकित इबारत मे इस बात को स्वीकार किया है कि वादीगण को 14 मीन में से दिनांक 14–11–1975 को माधुसिंह नाहरसिंह पिता भेरूसिंह को आवटंन हुई थी।

प्रतिवादीगण कथन दिया गया कि बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम सही है, किंतु प्रतिवादीगण इस बात का कोई भी ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए कि प्रारंभिक एलॉटमेंट अथवा नामांतरण उनके अथवा उनके पूर्वजों के पक्ष में हुआ था। केवल बाद की जमाबंदी प्रविष्टियों के आधार पर मूल अधिकार को नकारा नहीं जा सकता।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादीगण द्वारा प्रस्तु प्रदर्श पी–1 नामांतरण संख्या 198, प्रदर्श पी–2 से पी–5 तक की जमाबंदियां तथा प्रदर्श पी–8 से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रारंभिक एलॉटमेंट व नामांतरण में खातेदार का नाम माधुसिंह एवं नारसिंह पिता भेरूसिंह संयुक्त रूप से दर्ज था। भू–प्रबंध / बंदोबस्त के दौरान खातेदार के नाम में "पिता" शब्द का अशुद्ध प्रयोग कर माधुसिंह पिता नारसिंह दर्ज किया जाना अभिलेखीय त्रुटि प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण इस तथ्य का कोई ठोस दस्तावेजी खंडन प्रस्तुत नहीं कर पाए कि प्रारंभिक एलॉटमेंट उन्हें हुआ था।

प्रतिवादीगण का कथन केवल वर्तमान प्रविष्टियों पर आधारित है, जो स्वयं विवादित है। प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट है कि मूल अधिकार वादीगण के पक्ष में था। यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर–2 आया वादीगण हाल आराजी नम्बर 187 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम घोषणा एवं उक्त इन्द्राज दुरूस्ती करने के अधिकारी है?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने कथन किया कि 14 मीन रकबा 27 बीघा 1 बीस्वा में से 5 बीघा भूमि वादीगण को आवंटन हुई तथा नामांतरण सं. 198 माधुसिंह, नाहरसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत के नाम स्वीकृत हुआ। जिसकी पुष्टी प्रदर्श पी. 1 से होती है। वादीगण के उपरोक्त साबिक आराजी नं. 14 मीन से हाल आराजी नं. 187 रकबा 1.35 हेक्टेयर कायम हुआ एवं मिसल बंदोबस्त की जमाबंदी में नोट प्रक्रिया से आराजी नं 187 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि दर्ज की। जिसकी पुष्टी प्रदर्श पी. 8 मिलान क्षैत्रफल से होती है।

प्रतिवादी ने कथन किया कि वादीगण को आज तक कभी भी सा.आ.न. 14 / 9 रकबा 5 बीघा भूमी एलोट हुई नही थी एवं मौके पर भौतिक कब्जा सिपूर्द नहीं हुआ था, वादीगण ने केवल ग्राम पंचायत धारोद एवं ग्राम पंचायत डाल के सरपंच को नाजायज लाभ देकर उनसे पर्चा मौका बनाकर वादीगण का कब्जा बताकर यह झुठा वाद पेश किया है।

राजस्व रेकार्ड में कोई अशुद्वि अंकिन नही हुई है।राजस्व रेकार्ड में माधुसिंह, नाहरसिंह पिता भेरूसिंह निवासी डाल के बजाय अशुद्ध अंकन माधुसिंह पिता भेरूसिंह निवासी डाल दर्ज होना स्वीकार नहीं है। माघुसिंह पिता नाहरसिंह भुप्रबन्ध प्रारम्भ होने के पूर्व से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थे जो प्रतिवादीगण के स्वर्गीय पिता गैर खातेदार काश्तकार दर्ज थे। इसलिये उक्त भूमी की हाल आ.न. 187 रकबा 1.08 हेक्टर के एकमात्र खातेदार काश्तकार विरासत से प्रतिवादीगण है । वादग्रस्त कृषी भूमी आ.न. 187 पर प्रतिवादीगण अपने बाप दादाओ के समय से आज तक निरन्तर बेरोक के काबिज चले आ रहे है एवं उक्त भूमी पर पशुघर, मवेशी भागले वादीगण की नही होकर हम प्रतिवादीगण की है।

प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि उन्हें उक्त भूमि का वैध एलॉटमेंट हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Naresh & Ors. बनाम Hemant & Ors., 2020 (2) RRT 874 मे यह प्रतिपादित किया कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की प्रविष्टियाँ rebuttable presumption हैं, जिन्हें ठोस साक्ष्य से ही खंडित किया जा सकता है।

वर्तमान प्रकरण में वादीगण ने नामांतरण, जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल जैसे दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त धारणा को सफलतापूर्वक खंडित किया है। अतः यह नजीर भी प्रतिवादी पक्ष को कोई सहायता प्रदान नहीं करती। केवल दीर्घकालीन कब्जे का कथन, बिना मूल अधिकार सिद्ध किए, खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं करता। तनकी नम्बर 1 वादीगण के पक्ष मे है। साबिक आराजी पर वादीगण का अधिकार था, तो उसका परिवर्तित रूप हाल आराजी नम्बर 187 पर भी वही अधिकार लागू होगा। केवल गलत प्रविष्टि से स्वत्व उत्पन्न नहीं होता। वादीगण के कथन वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहो और दस्तावेजी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

साक्ष्य से पुष्ट होते हैं। अतः वादीगण खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती के अधिकारी हैं। यह तनकि वादीगण के पक्ष में निर्णयित होती है।

तनकी नम्बर– 3 आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी नम्बर 1 एवं 2 वादीगण के पक्ष मे है। जब वादीगण का खातेदारी अधिकार सिद्ध हो गया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर प्रतिवादीगण हस्तक्षेप का प्रयास कर रहे हैं, तब वादीगण की शांतिपूर्ण काश्त एवं उपयोग की रक्षा हेतु स्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं। यह तनकि भी वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

तनकी नम्बर 4– आया बिना कब्जेयाबी की दाद के वादीगण किसी प्रकार की घोषणा इस वाद में प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है?

यह तनकी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण गत 37–38 वर्षो से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है, इसलिये वादीगण का यह वाद काबिल निरस्त के है बिना कब्जेयाबी की दाद के वादीगण किसी प्रकार की इस वाद में घोषणा हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध कराने के अधिकारी नही है।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत Naresh & Ors. बनाम Hemant & Ors., 2020 (2) RRT 874 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय), Birbal बनाम Gurudayal & Ors., 2018 (2) RRT 1268 (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्थान) नजीरें तथ्यात्मक रूप से वर्तमान वाद से भिन्न हैं, उनमें प्रतिपादित विधिक सिद्धांत वादीगण के अधिकारों के विपरीत नहीं हैं, तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के बल पर वादीगण का दावा अधिक विश्वसनी है।

वादीगण ने अपने दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध किया है कि वे साबिक से खातेदार रहे हैं तथा उनका कब्जा अभिलेखीय अधिकार से जुड़ा हुआ है। यह वाद मूलतः इन्द्राज दुरुस्ती व खातेदारी घोषणा का है, न कि बलपूर्वक कब्जा प्राप्त करने का। अतः केवल इस आधार पर कि पृथक कब्जेयाबी की दाद नहीं मांगी गई, वाद को निरस्त नहीं किया जा सकता। यह तनकिया प्रतिवादीगण के विरुद्ध एवं वादीगण के पक्ष में निर्णनीत होती है।

तनकी नम्बर 5–दादरसी

यह विवाद्यक न्यायलय से सम्बन्धित है। पुरे वाद पत्र को पढ़ने एवं वादी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं वादी के गवाहान व प्रतिवादी के गवाहान व दस्तावेज देखने के बाद न्यायालय यह पाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तु प्रदर्श पी–1 नामांतरण संख्या 198, प्रदर्श पी–2 से पी–5 तक की जमाबंदियां तथा प्रदर्श पी–8 से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रारंभिक एलॉटमेंट व नामांतरण में खातेदार का नाम माधुसिंह एवं नारसिंह पिता भेरूसिंह संयुक्त रूप से दर्ज था। जिसके अनुरूप जामबंदी में अंकन न होकर खातेदार के नाम में "पिता" शब्द का अशुद्ध प्रयोग कर माधुसिंह पिता नारसिंह दर्ज किया जाना अभिलेखीय त्रुटि प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण इस तथ्य का कोई ठोस दस्तावेजी खंडन प्रस्तुत नहीं कर पाए कि प्रारंभिक एलॉटमेंट उन्हें हुआ था। साबिक आराजी पर वादीगण का अधिकार था, तो उसका परिवर्तित रूप हाल आराजी नम्बर 187 पर भी वही अधिकार लागू होगा। केवल गलत प्रविष्टि से स्वत्व उत्पन्न नहीं होता। वादीगण के कथन वादीगण द्वारा प्रस्तुत

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

गवाहो और दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट होते हैं। अतः वादीगण खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती के अधिकारी हैं। वादीगण अपना वाद साबित करने मे सफल रहे है।

वादी ने अपने वाद पत्र की पुष्ठी में कोई नजीरे पेश नही की।

प्रतिवादी ने अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पर भरोसा किया है–

1. Raju through LRs & Ors. बनाम Board of Revenue & Ors. , 2023 (1) RRT 197 (राजस्थान उच्च न्यायालय)

उक्त प्रकरण में वादी ने अपने अधिकार के समर्थन में एक अपंजीकृत एवं अप्रमाणित इकरारनामा प्रस्तुत किया था, जिसकी केवल फोटोकॉपी न्यायालय में पेश की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ऐसा दस्तावेज न तो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और न ही उससे किसी प्रकार का अधिकार उत्पन्न हो सकता है।

वर्तमान वाद में स्थिति सर्वथा भिन्न है। यहाँ वादीगण का दावा किसी अपंजीकृत दस्तावेज पर आधारित न होकर सरकारी आवंटन आदेश एवं विधिवत् स्वीकृत नामांतरण पर आधारित है, जो विधिसम्मत एवं प्रमाणित अभिलेख हैं। अतः उक्त नजीर तथ्यों में भिन्न होने से वर्तमान वाद में लागू नहीं होती।

2. Naresh & Ors. बनाम Hemant & Ors., 2020 (2) RRT 874 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय)

इस निर्णय में वादी पक्ष अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा था और केवल अनुमान व मौखिक कथनों के आधार पर अधिकार सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की प्रविष्टियाँ rebuttable presumption हैं, जिन्हें ठोस साक्ष्य से ही खंडित किया जा सकता है।

वर्तमान प्रकरण में वादीगण ने न केवल मूल आवंटन बल्कि नामांतरण, जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल जैसे दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त धारणा को सफलतापूर्वक खंडित किया है। अतः यह नजीर भी प्रतिवादी पक्ष को कोई सहायता प्रदान नहीं करती।

3. Birbal बनाम Gurudayal & Ors., 2018 (2) RRT 1268 (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्थान)

उक्त निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जब दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हों, तब केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह नजीर वर्तमान वाद के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होती है, क्योंकि प्रतिवादीगण अपने कथित कब्जे को केवल मौखिक कथनों से सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि वादीगण के पास विधिवत् राजस्व अभिलेख उपलब्ध हैं।

उपरोक्त नजीरों के सम्यक् विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरें तथ्यात्मक रूप से वर्तमान वाद से भिन्न हैं, उनमें प्रतिपादित विधिक सिद्धांत वादीगण के अधिकारों के विपरीत नहीं हैं, तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के बल पर वादीगण का दावा अधिक विश्वसनी है।

बहस मनन की गई तथा पुरी पत्रावली एवं उसमें पेश दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी के वकील द्वारा प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन करने वादी एवं प्रतिवादी दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद मेरी राय मे प्रारंभिक एलॉटमेंट व नामांतरण में खातेदार का नाम माधुसिंह एवं नारसिंह पिता भेरूसिंह संयुक्त रूप से दर्ज था। जिसके अनुरूप जामबंदी में अंकन न होकर खातेदार के नाम में "पिता" शब्द का अशुद्ध प्रयोग कर माधुसिंह पिता नारसिंह दर्ज किया जाना अभिलेखीय त्रुटि प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

तनकी नम्बर 1 से 4 वादी साबित करने मे सफल रहा है। साबिक आराजी पर वादीगण का अधिकार था, तो उसका परिवर्तित रूप हाल आराजी नम्बर 187 पर भी वही अधिकार लागू होगा। केवल गलत प्रविष्टि से स्वत्व उत्पन्न नहीं होता। वादीगण के कथन वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहो और दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट होते हैं। अतः वादीगण खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती के अधिकारी हैं। वादीगण अपना वाद साबित करने मे सफल रहे है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा धारोद पटवार मण्डल डाल के साबिक आराजी नं 14/9 रकबा 5 बीघा से बने हाल आराजी नम्बर आराजी नं 187 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि के राजस्व भू–अभिलेख में अशुद्ध अंकन को दुरुस्ती कर उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है एवं नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण कि आराजीयात की भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण काश्त मे दखलन्दाजी नही करें।

वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के खाते राजस्व रिकार्ड में इस डिक्री की पालना में अंकित किया जावे माफिक निर्णय डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जावे तथा पालनार्थ निर्णय एवं डिक्री की एक प्रत तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 12/01/26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), सलुम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बागनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 25/2017 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2017/00052

उनवान

1. मृतक माधुसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत के बजाय
   1/1 श्री चन्दन सिंह पिता माधूसिंह राजपुत, जाति राजपुत उम्र बालिग, निवासी डाल, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)
   1/2 श्रीमती हुरज पुत्री माधुसिंह राजपुत, पत्नी श्री ओमसिंह राजपुत जाति राजपुत उम्र बालिग, निवासी डाल, हाल निवासी गुड तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।
2. मृतक नारसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत के बजाय–
   2/1 श्री मानसिंह पिता नारसिंह राजपुत, जाति राजपुत उम्र बालिग, निवासी डाल, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।
   2/2 श्री ईश्वरसिंह पिता नारसिंह राजपुत, जाति राजपुत उम्र बालिग, निवासी डाल, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।
   2/3 श्रीमती सुरज कुंवर पत्नी नारसिंह राजपुत, जाति राजपुत उम्र बालिग, निवासी डाल. तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।

– वादीगण

बनाम

1. श्री देवीसिंह पिता माधुसिंह राजपुत पिता स्व. नारसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी डाल तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्री गुमानसिंह पिता माधुसिंह राजपुत पिता स्व. नारसिंह राजपुत, मृतक के बजाय
   2/1 श्रीमती चम्पा बाई पुत्री माधुसिंह पत्नी वगतसिंह, उम्र बालिग, जाति राजपुत निवासी डाल तहसील सलूम्बर हाल निवासी अदवास तहसील सराडा जिला सलूम्बर (राज.)।
   2/2 श्रीमती कडुआ पुत्री माधुसिंह पत्नी किशोरसिंह, उम्र बालिग, जाति राजपुत निवासी डाल तहसील सलूम्बर हाल निवासी अदवास गुडा तहसील सराडा जिला सलूम्बर (राज.)।
   2/3 श्रीमती कंकू पुत्री माधुसिंह पत्नी दलपतसिंह, उम्र बालिग, जाति राजपुत निवासी डाल हाल निवासी बस्सी (बिलिया) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
   2/4 श्रीमती केसी पुत्री माधुसिंह पत्नी देवीसिंह, उम्र बालिग, जाति राजपुत निवासी डाल तहसील सलूम्बर हाल निवासी सांदला तहसील गिर्वा जिला सलूम्बर (राज)।
3. श्री जोरावर सिंह पिता माधुसिह पिता नारसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग, निवासी डाल तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
4. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब सलूम्बर तह. सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

– प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.ए. 1956 एवं 88, 188 आर.टी.ए. 1955</u>

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर

बजरिये– श्री जगदीश चन्द बामनिया आर.ए.एस.

वाद संख्या–25 / 2017

उनवान–मृतक माधुसिंह के बजाय चन्दनसिंह बनाम श्री देवीसिंह — वाद अन्तर्गत धारा 136 LRAct 88, 188 RTA

डिक्री दिनांक 12/01/2026

वादपत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के लिए दावा वादीगण की और से एडवोकेट श्री गेबीलाल मेहता एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एडवोकेट श्री गोविन्दलाल डांगी उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 12/01/26 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा धारोद पटवार मण्डल डाल के साबिक आराजी नं 14/9 रकबा 5 बीघा से बने हाल आराजी नम्बर आराजी नं 187 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि के राजस्व भू–अभिलेख में अशुद्ध अंकन को दुरुस्ती कर उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है एवं नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण कि आराजीयात की भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण काश्त मे दखलन्दाजी नही करें।

वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के खाते राजस्व रिकार्ड में इस डिक्री की पालना में अंकित किया जावे। पालनार्थ निर्णय एवं डिक्री की एक प्रत तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जावे।

खर्चा मुकदमा उभयपक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 12/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
सहायक कलक्टर,
सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	—
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	—	प्लीडर की फीस	—	—
4. रूपये पर लीडर की फीस	—	—	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—	आदेशिका की तामील	—	—
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	—	कमिश्नर की फीस	—	—
7. आदेशिका की तामील	—	—		—	—
योग	05	—	योग	01	—

सहायक कलक्टर,
सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर